

पत्रांक-श्रम क०सं०-22/2025-963
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 04 कामगारों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए मात्र) प्रति कामगार की दर से रु० 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपए मात्र) अर्थात् कुल राशि रु० 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-963, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-09 एवं 10, तथा विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-16 एवं 18 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त विमुक्ति आदेशों के क्रम संख्या-09 एवं 10 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Payment Stopped, RTGS Transection fail** रहने के कारण एवं 16 एवं 18 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Returned/Null, RTGS Transection fail** रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-963, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-09 एवं 10, तथा विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-16 एवं 18 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-742, दिनांक-03.06.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रितको स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाइल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ताता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० जयकृष्ण सादा, 21, छोटी सादा, अनुसूचित जाति	चंदिका देवी (पत्नी)	742 03.06.2026 एवं 850 23.06.2025	ग्राम-औरली, प०-गोरदह, पो०-भेलवा, धाना+प्र०-सलखुआ, जिला-सहरसा 6206987257	009410 325691	IPPB IPOS00 00001	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि श्रमिक
2	स्व० बबुन सादा, 48, शकुन सादा, अनुसूचित जाति	सोमनी देवी (पत्नी)	742 03.06.2026 एवं 850 23.06.2025	ग्राम-औरली, प०-गोरदह, पो०-भेलवा, धाना+प्र०-सलखुआ, जिला-सहरसा 7605935642	009410 415642	IPPB IPOS00 00001	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि श्रमिक
3	स्व० वेदा सादा, 33, चंदर सादा, अनुसूचित जाति	रिंकू देवी (पत्नी)	742 03.06.2026 एवं 1224 30.08.2025	ग्राम+प०+पो०- आराही, वार्ड-07, धाना+प्र०-महिषी, जिला-सहरसा 9350816583	100705 103007 4514	BGB PUNB0 MBGB0 6	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषक मजदूर
4	स्व० सीता देवी, 56, स्व० सत्यनारायण पासवान, अनुसूचित जाति	परमानन्द कुमार (पुत्र)	742 03.06.2026 एवं 1227 30.08.2025	ग्राम-मरनमा, पो०+प०-पतरघट, धाना+प्र०-पतरघट, जिला-सहरसा 6202514165	009410 561919	IPPB IPOS00 00001	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि मजदूर

कुल:-रु० 1,20,000/-

(एक लाख बीस हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-963, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-09 एवं 10, तथा विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-16 एवं 18 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

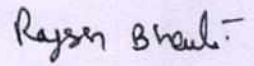
ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-22/2025-963

पटना, दिनांक :- 22/09/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रूपए)** मात्र बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सहरसा/उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


22/09/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक